तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
28-5-15	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी/~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~[illegible] पर हैं~~/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~[illegible] हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-6-15 को ~~पेश हो।~~ कैम्प अहमदपुर पर पेश हो । रीडर	[illegible] 10/6/15
23-6-15 नि० रामनरी नि० रूपाते रवि कुमार	पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प अहमदपुर पर पेश हुई। अपीलार्थीगण व सरपंच ग्राम पंचायत अहमदपुर उपस्थित है। पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। फोटोकोपी विक्रयपत्र दि० 22-7-06 के अनुसार अपीलार्थीगण ने ख०नं० 418 में 23 एयर भूमि स्थित ग्राम आबट्रोली रामसिंह पुत्र मूल्या गूजर से खरीदी थी जिसका नामान्तरकरण सं० 134 दि० 15-11-06 भरा गया था जो सरपंच द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह सरपंच द्वारा विधि अनुकूल नहीं किया गया। अत: अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली में हुए निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
15/2014	14.10.2014	23.06.2015

1 श्रीमती रामनरी पत्नी चतरू, गुर्जर, ग्राम आस्टोली तह0 गंगापुर सिटी
2 श्रीमती हरिपति पत्नी नरेन्द्र, गुर्जर, ग्राम आस्टोली तह0 गंगापुर सिटी —— अपीलार्थी

बनाम

ग्रा0 पं0 अहमदपुर जरिए सरपंच ग्रा0 पं0 अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी ——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 134
दिनांक 14.11.2006 ग्राम पंचायत अहमदपुर

उपस्थितः— श्रीमती रामनरी एवं हरिपति अपीलार्थी
सरपंच ग्राम पंचायत अहमदपुर रेस्पोडेन्ट

निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील इस आशय की पेश की है कि भूमि ख0न0 418 रकबा 69 एयर रामसिंह, प्रभू, अभयराम पुत्रान मूल्या की सहखातेदारी की भूमि है और किसी भी सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि के किसी भी हिस्से को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसा विक्रयनामा कानून के अनुसार वैद्य है। पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की वैद्यता देखने का कानूनी अधिकार नही है। इस कारण से भी खातेदार द्वारा अपने हिस्से मे से भी कुछ हिस्से की भूमि का विकय किया जाना वैद्य है। क्रय की गई भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा है। वक्त तस्दीक नामान्तरकरण अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का मौका नही दिया गया। नामान्तरकरण की कार्यवाही कोई जलसा आम मे भी नही की गई। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। और इस प्रकार का आदेश अदालत मातहत कानून के खिलाफ होने के कारण निस्तरनीय है। उक्त नामान्तरकरण की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही हुई थी। दिनांक 15.9.14 को जब के.सी.सी. कार्य हेतु जमाबंदी की नकल लेने बाबत अपीलार्थी पटवारी के पास गई तो उक्त नामान्तरकरण न खोले जाने की जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नही हुई थी। तब जाकर अपीलार्थीगण ने नकल निकलवाने हेतु दिनांक 18.9.2014 को नकल आवेदन तहसील मे लगाया तो उन्होने उक्त नामान्तरकरण की नकल सवाई माधोपुर से लेने या पटवार हल्का से लेने को कहा तथा नकल आवेदन वापिस लौटा दिया तव अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से दिनांक 21.9.2014 को नकल तैयार करवाई। इस कारण योम जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश हैं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया हैं। अतः अपील पेश कर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 14.11.2006 निरस्त फरमाया जाकर ख0न0 418 रकबा 23 एयर ग्राम आस्टोली तह0 गंगापुर सिटी का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के हक मे तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलव किया गया। रेस्पोडेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ।

अपील के साथ प्रार्थी ने नकल नामान्तकरण संख्या 134 दिनाक 14.11.2006, नकल जमाबंदी संवत 2068 – 71, फोटोकॉपी रजिस्टी दिनांक 22.7.2006 पेश किये है।

अपीलार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। फोटोकॉपी रजिस्टी दिनांक 2.7.2006 के अनुसार अपीलार्थीगण ने रामसिंह पुत्र मूल्या से भूमि ख0न0 418 मे से विक्रेता रामसिंह का 1/3 हिस्सा एवं 1 बीघा 7 विस्वा मे से 23 एयर भूमि क्रय की है। इस विक्रय का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम जो दर्ज किया गया है वह निरस्त कर दिया गया है जो विधी अनुकूल नही है। फलस्वरूप अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने के योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 134 दिनांक 14.11.2006 ग्राम आस्टोली पर सरंपच ग्राम पंचायत अहमदपुर द्वारा दिनांक 14.11.2006 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को पुनः सुनवाई कर विधी अनुसार निर्णय किये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी